## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

**अपील संख्या 78/2025**

1. सरदारमल पुत्र हरसाराम उम्र 53 वर्ष
2. जगदेवाराम पुत्र हरसाराम उम्र 50 वर्ष
3. बीरबल पुत्र हरसाराम उम्र 44 वर्ष
4. फुलचन्द पुत्र हरसाराम उम्र 40 वर्ष
5. रामनिवास पुत्र हरसाराम उम्र 38 वर्ष
6. जयमल पुत्र मगनाराम उम्र 48 वर्ष
7. किशनलाल पुत्र मगनाराम उम्र 32 साल

समस्त जाति माली ( सैनी ) निवासी जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना, राज0।

——अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
2. पटवारी, पटवार हल्का जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना राज0।
3. अशोक देवी पत्नी स्व0 राजू, जाति मेघवाल, निवासी जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
4. अजय कुमार पुत्र रामावतार
5. अनिल कुमार पुत्र रामावतार
6. अमित कुमार पुत्र रामावतार
7. संदीप कुमार पुत्र रामावतार
8. प्रियंका पुत्री रामावतार
9. सावित्री देवी पत्नी रामावतार
10. कैलाश पुत्र जगुराम
11. रामस्वरूप पुत्र जगूराम
12. सुन्दरलाल पुत्र जगूराम
13. मोहनी देवी पत्नी जगूराम
14. लीलूराम पुत्र भागीरथ
15. ब्रह्मजीत पुत्र गंगूराम
16. सुनील पुत्र राजूराम
17. निशा कटानिया पुत्री राजूराम
18. मनीषा कटारिया पुत्री राजूराम
19. बनवारी पुत्र भोलाराम

समस्त जाति बलाई, निवासी जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।

**शैतान पुत्र भोलाराम के वारिस**

20. रवि पुत्र शैतान
21. अर्दिश पुत्र शैतान
22. गुड्डू पुत्री शैतान
23. बिमला पत्नी शैतान

समस्त जाति बलाई, निवासी पुरोहित की ढाणी, रेल्वे फाटक नं0 3 के पास, सीकर जिला सीकर।

24. पार्वती पुत्री जगूराम पत्नी ओमप्रकाश, जाति बलाई, निवासी मेघवालों का मोहल्ला, छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
25. मिश्री पुत्री जगूराम पत्नी अमृतलाल
26. सावित्री पुत्री जगूराम पत्नी नरेन्द्र

जाति बलाई, निवासी मेघवालों का मोहल्ला, बड़ाउ, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

27. कमला पुत्री भागीरथ पत्नी सुभाष, जाति बलाई, निवासी मेघवालों का मोहल्ला, हरडिया, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना।
28. भोली पुत्री भागीरथ पत्नी श्रवण कुमार
29. सन्तोष पुत्री भागीरथ पत्नी मदनलाल
    जाति बलाई, निवासी जगत सिंह नगर, नीमोद, तहसील व जिला नीमकाथाना।
30. सन्ज्या पुत्री भोलाराम पत्नी सवाई, जाति बलाई, निवासी चिंचड़ोली, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना।
31. महेन्द्र कुमार सिसोदिया पुत्र बनवारीलाल सिसोदिया
32. श्रीमती रूकमणी धोबी पत्नी महेन्द्र कुमार सिसोदिया
    जाति धोबी, निवासी वार्ड नं0 8, ब्राह्मणों का मोहल्ला, चला, तहसील व जिला नीमकाथाना।
    **बिडदी देवी पुत्री गंगूराम पत्नी मोहनलाल के वारिस**
33. रामसिंह पुत्र मोहनलाल
34. मीरा पुत्री मोहनलाल
35. सुप्यार पुत्री मोहनलाल
36. संगीता पुत्री मोहनलाल
37. ललिता पुत्री मोहनलाल
38. अन्जु पुत्री मोहनलाल
    **गैन्दा पुत्री गंगुराम पत्नी सोहनलाल के वारिस**
39. सुरेश पुत्र सोहनलाल
40. अशोक पुत्र सोहनलाल
    समस्त जाति बलाई, निवासी आगरी, पो0 गणेश्वर, तहसील व जिला नीमकाथाना।

——रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.05.2024 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी अन्तर्गत धारा 183( बी ) राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 01/2023 उनवानी अजय कुमार वगैरह बनाम सरदारमल तथा अशोक देवी एवं हल्का पटवारी बनाम सरदारमल वगैरह

——

उपस्थितः—

1. श्री रविराज सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया एडवोकेट — रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 40 की ओर से उपस्थित।
3. श्री कमेर सिंह, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 4 लगा0 10, 14, 15, 24 लगा0 29 व 31, 32 की ओर से उपस्थित।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता— रेस्पोडेन्अ सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट सं0 12, 13, 16 लगा0 23, 30, 33 लगा0 39 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

**दिनांक 30.03.2026**

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 17.05.2024 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील अपलार्थीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि अपीलार्थीगण ग्राम पंचायत जहाज के निवासी है। ग्राम पंचायज जहाज में स्थित भूमि खसरा नं0 1034/778, 1033/778, 1038/779, 777 के निवासीगण कदीम से आवासीय गुवाड़िया पुख्ता हवेली बनाकर आबाद चले आए थे। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट्स व उनके पूर्वजों ने विक्रय इकरारनामा में स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण का कब्जा मानकर विक्रय इकरानामा दिनांक 21.10.2005 को तैयार करके नोटरी से तस्दीक करवाया था। उक्त विक्रय इकरारनामा के अनुसार अपीलान्ट्स करीब 50 वर्ष से अधिक समय से आवासीय मकानात बनाकर आबाद चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट नं0 3 के पति राजूराम द्वारा विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। अपीलान्ट्स के पिता हरसाराम व

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मगनाराम द्वारा गत 30 वर्ष पूर्व से ही पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है और इनमें अपीलार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा व स्वामित्वच में है। मौके पर खसरा नं0 777 पर खातेदारों का कोई कब्जा नहीं है तथा विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 के अनुसार कब्जा अपीलार्थीगण का 30 साल पुराना माना गया था और खातेदारी होने के कारण रेस्पोडेन्ट नं0 3 के पति राजूराम ने रुपये प्राप्त कर लिये थे तथा इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 का उपरोक्त भूमियों पर कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा अपीलार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही घरेलू विद्युत कनेक्शन की विद्युत लाईन है तथा अपीलार्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन है। अपीलार्थीगण के मकानों में विद्युत बिल की प्रति एन्केचर–1 है। विक्रय इकरारनामा की प्रमाणित प्रति एन्केचर–2 है, मकानों की फोटो एन्केचर 3 है, जमाबन्दी एन्केचर–4 व 5 है तथा विक्रय पंजीयन लेख एन्केचर 6, 7, 8, 9 व 10 है। अपीलार्थीगण के मकानात करीब 50 साल पूर्व के है। इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 के पति व पिता राजूराम पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट के आवासीय मकानात 50 वर्ष से काबिज होना रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 की जानकारी में है तथा ग्राम पंचायत द्वारा करीब 20 वर्ष पहले पानी की टंकी बनायी गई थी। रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 का उक्त भूमियों पर कभी भी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। करीब 20 मकानात अपीलार्थीगण ने बना रखे हैं जिसमें विद्युत कनेक्शन व पेयजल सप्लाई लाईन करीब 30 वर्ष पहले राजकीय कोष से स्थापित किया जाकर समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा रिपेयरिंग कराई जाती रही है। अपीलार्थीगण के पिता के समय से आवासीय गुवाड़ी 50 वर्ष पहले से बनी हुई है। रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 व अन्य रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों ने विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण के मकानात होना माना था तथा खातेदारो का कभी भी कोई कब्जा उपरोक्त भूमि में होना नहीं माना था। इकरारनामा की फोटो प्रति संलग्न प्रस्तुत है। अपील उन उज्रात के जो वरवक्त बहस निवेदन किये जावेगे अपीलाधीन निर्णय आदेश निम्नलिखित मुख्य मुख्य कारणो से निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय आदेश कानून वाकयात एवं रूयेदाद मिसल है। अपीलाधीन आदेश बिना किसी विधिक जॉच के पारित किया गया है। कोई भी जॉच तहसीलदार उदयपुरवाटी स्वंय के रिकार्ड पर प्रस्तुत जमाबन्दी की सयुंक्त खोतदारी की भूमि बाबत रिर्कोडेड खातेदार से कोई जांच नहीं की तथा मौके का निरीक्षण नहीं किये तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत जहाज का जवाब भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया तथा अपीलार्थीगण के दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया गया, ना ही निर्णय में अंकित किया गया। अपीलाधीन आदेश में अशोक देवी के हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया तथा समस्त भूमि बाबत श्रीमती अशोक देवी को कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। उपरोक्त भूमियो में अन्य खातेदारान व रेस्पोडेन्ट नं0 35 व 36 को विक्रय पत्र को शामिल पत्रावली में नहीं किया गया, ना ही पत्रावली में हल्का पटवारी की रिपोर्ट थी इसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया तथा पत्रावली में अपीलार्थीगण का जवाब नोटिस लिये बिना ही पत्रावली को बहस में रख दिया तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण ही नही किया गया इसके बावजूद भी उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मकानात के स्वामियों को कोई नोटिस ही जारी किये गये तथा रेस्पोडेन्ट नं0 3 को समस्त खातेदारी बाबत कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अन्य खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त विवादित निर्णय पारित किया गया है। जबकि जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट न0 3 के नाम भूमि खसरा नं0 777 में केवल 7 वर्गगज की खातेदारी है जिसको सम्पूर्ण भूमि बाबत कोई अधिकार नहीं है, का कोई आदेश पारित किया जा सका तथा भूमि खसरा नं0 1033/778, 1034/778, 1035/778, 1038/779 में रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 323/30288 के अनुसार 0.016 है0 भूमि की खातेदारी है। उपरोक्त समस्त भूमि पर कोई भी आदेश पारित अन्य खातेदारान को पक्षकार बनाये नहीं किया जा सकता था। परन्तु न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 ( बी ) राज0 काश्तकारी अधिनियम में रिकॉर्डेड खातेदारान को पक्षकारान बनाये बिना विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो जो निरस्त होने योग्य है तथा अपीलार्थीगण को ना तो जवाब देने का अवसर दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट न0 35 व 36 के द्वारा व अन्य खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में अपीलार्थीगण का करीब 30 वर्ष पहले से मकानात बने होना व खातेदारान का कभी भी कब्जा नहीं होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट न0 1 ता 4

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

को रही थी जो मियाद के बाहर होने के बावजूद भी विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण अपने मकानात के स्वामी है तथा अन्य खातेदारान द्वारा विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में अपीलार्थी द्वारा आवासीय मकानात विद्यमान होना स्पष्ट है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पानी की टंकी बनाई हुई है इसके बावजूद विधि विरुद्ध अस्पष्ट निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण को दस्तावेज विक्रय इकरारनामा, शपथपत्र, जमाबन्दी, विक्रय पंजीयन पत्र को साक्ष्य सबूत में प्रस्तुत करने की ता0 पेशी भी नियत नहीं की गई है। अतएव अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपिरित अस्पष्ट एवं आधारहीन कथन अंकित करते हुए पारित किया गया है। अतएव निरस्तनीय है तथा आवश्यक पक्षकारों को सूचना दिये बिना इकतरफा में पारित किया गया है जो निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्टतया मियाद बाहर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्पष्ट आधारहीन आदेश पारित करके कानूनी एवं वाकयाती भूल की है। रेस्पोडेन्ट न0 3 व अन्य खातेदारों द्वारा या किसी भी व्यक्ति ने कभी भी कोई आपत्ति अपीलार्थीगण के पैतृक रिहायशी मकानात के उपयोग उपभोग में नहीं की थी। रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 ने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करके प्रार्थना पत्र तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके इकतरफा विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। तहसीलदार उदयपुरवाटी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट नं0 3 के प्रार्थना पत्र एवं एकतरफा रिपोर्ट की प्रति भी पत्रावली में शामिल नहीं की ना ही अपीलार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। ना ही कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली गई अतएव आदेश विधि विरुद्ध है। निर्विवाद रूप से आवासीय मकानात कदीम से 50 वर्ष पहले से बने हुए है इसकी स्वीकारोक्ति एवं रेस्पोडेन्ट के पति एवं परिजनों ने इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में है उक्त स्वीकारोक्ति पर विचार किए बिना बिना किसी जांच के विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। धारा 183 ( बी ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत मियाद बाहर आवेदन पत्र जो पत्रावली में भी नहीं है पर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। कानूनन 12 वर्ष बाद 7 वर्गगज भूमि बाबत धारा 183 ( बी ) राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अजय कुमार अथवा अशोक देवी को प्रार्थना पत्र करने एवं उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन निर्णय के अनुसार हल्का पटवारी को धारा 183( बी ) राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। धारा 175 राज0 काश्त0 अधिनियम के अन्तर्गत 7 वर्गगज भूमि बाबत आज तक भी कोई कार्यवाही एवं आवेदन सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष प्रारम्भ नहीं की गई क्योंकि धारा 175 राज0 काश्त0 अधिनियम के अनुसार भी 30 वर्ष की मियाद निकल चुकी थी। आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 29.11.2023 एवं अपीलाधीन निर्णय परस्पर विरोधाभाषी है अतएव अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2024 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी मु0नं0 01/2023 उनवानी अजय कुमार, अशोक देवी बनाम सरदारमल वगैरह निरस्त की जावे। अन्य परितोष जो इंसाफन बहक अपीलार्थीगण दिया जा सके प्रदान करें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ग्राम पंचायत जहाज के निवासी है। ग्राम पंचायज जहाज में स्थित भूमि खसरा नं0 1034/778, 1033/778, 1038/779, 777 के निवासीगण कदीम से आवासीय गुवाड़िया पुख्ता हवेली बनाकर आबाद चले आए थे। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट्स व उनके पूर्वजों ने विक्रय इकरारनामा में स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण का कब्जा मानकर विक्रय इकरानामा दिनांक 21.10.2005 को तैयार करके नोटरी से तस्दीक करवाया था। उक्त विक्रय इकरारनामा के अनुसार अपीलान्ट्स करीब 50 वर्ष से अधिक समय से आवासीय मकानात बनाकर आबाद चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट नं0 3 के पति राजूराम द्वारा विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। अपीलान्ट्स के पिता हरसाराम व मगनाराम द्वारा गत 30 वर्ष पूर्व से ही पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है और इनमें अपीलार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा व स्वामित्वच में है। मौके पर खसरा नं0 777 पर खातेदारों का कोई कब्जा नहीं है तथा विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 के अनुसार कब्जा अपीलार्थीगण का 30 साल पुराना माना गया था और खातेदारी होने के कारण रेस्पोडेन्ट नं0 3 के पति राजूराम ने रुपये प्राप्त कर लिये थे तथा इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 का उपरोक्त भूमियों पर

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा अपीलार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही घरेलू विद्युत कनेक्शन की विद्युत लाईन है तथा अपीलार्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन है। अपीलार्थीगण के मकानों में विद्युत बिल की प्रति एन्केचर–1 है। विक्रय इकरारनामा की प्रमाणित प्रति एन्केचर–2 है, मकानों की फोटो एन्केचर 3 है, जमाबन्दी एन्केचर–4 व 5 है तथा विक्रय पंजीयन लेख एन्केचर 6, 7, 8, 9 व 10 है। अपीलार्थीगण के मकानात करीब 50 साल पूर्व के है। इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 के पति व पिता राजूराम पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट के आवासीय मकानात 50 वर्ष से काबिज होना रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 की जानकारी में है तथा ग्राम पंचायत द्वारा करीब 20 वर्ष पहले पानी की टंकी बनायी गई थी। रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 का उक्त भूमियों पर कभी भी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। करीब 20 मकानात अपीलार्थीगण ने बना रखे हैं जिसमें विद्युत कनेक्शन व पेयजल सप्लाई लाईन करीब 30 वर्ष पहले राजकीय कोष से स्थापित किया जाकर समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा रिपेयरिंग कराई जाती रही है। अपीलार्थीगण के पिता के समय से आवासीय गुवाड़ी 50 वर्ष पहले से बनी हुई है। रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 व अन्य रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों ने विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण के मकानात होना माना था तथा खातेदारो का कभी भी कोई कब्जा उपरोक्त भूमि में होना नहीं माना था। इकरारनामा की फोटो प्रति संलग्न प्रस्तुत है। अपील उन उज्रात के जो वरवक्त बहस निवेदन किये जावेगे अपीलाधीन निर्णय आदेश निम्नलिखित मुख्य मुख्य कारणो से निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय आदेश कानून वाकयात एवं रूयेदाद मिसल है। अपीलाधीन आदेश बिना किसी विधिक जॉच के पारित किया गया है। कोई भी जॉच तहसीलदार उदयपुरवाटी स्वंय के रिकार्ड पर प्रस्तुत जमाबन्दी की सयुंक्त खोतदारी की भूमि बाबत रिर्कोडेड खातेदार से कोई जांच नहीं की तथा मौके का निरीक्षण नहीं किये तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत जहाज का जवाब भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया तथा अपीलार्थीगण के दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया गया, ना ही निर्णय में अंकित किया गया। अपीलाधीन आदेश में अशोक देवी के हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया तथा समस्त भूमि बाबत श्रीमती अशोक देवी को कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। उपरोक्त भूमियो में अन्य खातेदारान व रेस्पोडेन्ट नं0 35 व 36 को विक्रय पत्र को शामिल पत्रावली में नहीं किया गया, ना ही पत्रावली में हल्का पटवारी की रिपोर्ट थी इसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया तथा पत्रावली में अपीलार्थीगण का जवाब नोटिस लिये बिना ही पत्रावली को बहस में रख दिया तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी. सी. का निस्तारण ही नही किया गया इसके बावजूद भी उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मकानात के स्वामियों को कोई नोटिस ही जारी किये गये तथा रेस्पोडेन्ट नं0 3 को समस्त खातेदारी बाबत कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अन्य खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त विवादित निर्णय पारित किया गया है। जबकि जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट न0 3 के नाम भूमि खसरा नं0 777 में केवल 7 वर्गगज की खातेदारी है जिसको सम्पूर्ण भूमि बाबत कोई अधिकार नहीं है, का कोई आदेश पारित किया जा सका तथा भूमि खसरा नं0 1033/778, 1034/778, 1035/778, 1038/779 में रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 323/30288 के अनुसार 0.016 है0 भूमि की खातेदारी है। उपरोक्त समस्त भूमि पर कोई भी आदेश पारित अन्य खातेदारान को पक्षकार बनाये नहीं किया जा सकता था। परन्तु न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 ( बी ) राज0 काश्तकारी अधिनियम में रिकॉर्डेड खातेदारान को पक्षकारान बनाये बिना विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो जो निरस्त होने योग्य है तथा अपीलार्थीगण को ना तो जवाब देने का अवसर दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट न0 35 व 36 के द्वारा व अन्य खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10. 2005 में अपीलार्थीगण का करीब 30 वर्ष पहले से मकानात बने होना व खातेदारान का कभी भी कब्जा नहीं होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट न0 1 ता 4 को रही थी जो मियाद के बाहर होने के बावजूद भी विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण अपने मकानात के स्वामी है तथा अन्य खातेदारान द्वारा विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में अपीलार्थी द्वारा आवासीय मकानात विद्यमान होना स्पष्ट है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पानी की टंकी बनाई हुई है इसके बावजूद विधि विरुद्ध अस्पष्ट निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण को दस्तावेज विक्रय इकरारनामा,

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

शपथपत्र, जमाबन्दी, विक्रय पंजीयन पत्र को साक्ष्य सबूत में प्रस्तुत करने की ता0 पेशी भी नियत नहीं की गई है। अतएव अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपिरित अस्पष्ट एवं आधारहीन कथन अंकित करते हुए पारित किया गया है। अतएव निरस्तनीय है तथा आवश्यक पक्षकारों को सूचना दिये बिना इकतरफा में पारित किया गया है जो निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्टतया मियाद बाहर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्पष्ट आधारहीन आदेश पारित करके कानूनी एवं वाकयाती भूल की है। रेस्पोडेन्ट न0 3 व अन्य खातेदारों द्वारा या किसी भी व्यक्ति ने कभी भी कोई आपत्ति अपीलार्थीगण के पैतृक रिहायशी मकानात के उपयोग उपभोग में नहीं की थी। रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 ने कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग करके प्रार्थना पत्र तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके इकतरफा विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। तहसीलदार उदयपुरवाटी न्यायिक प्रकिया के अनुसार कोई जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट नं0 3 के प्रार्थना पत्र एवं एकतरफा रिपोर्ट की प्रति भी पत्रावली में शामिल नहीं की ना ही अपीलार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। ना ही कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली गई अतएव आदेश विधि विरुद्ध है। निर्विवाद रूप से आवासीय मकानात कदीम से 50 वर्ष पहले से बने हुए है इसकी स्वीकारोक्ति एवं रेस्पोडेन्ट के पति एवं परिजनों ने इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 में है उक्त स्वीकारोक्ति पर विचार किए बिना बिना किसी जांच के विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। धारा 183 ( बी ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत मियाद बाहर आवेदन पत्र जो पत्रावली में भी नहीं है पर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। कानूनन 12 वर्ष बाद 7 वर्गगज भूमि बाबत धारा 183 ( बी ) राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अजय कुमार अथवा अशोक देवी को प्रार्थना पत्र करने एवं उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन निर्णय के अनुसार हल्का पटवारी को धारा 183( बी ) राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। धारा 175 राज0 काश्त0 अधिनियम के अन्तर्गत 7 वर्गगज भूमि बाबत आज तक भी कोई कार्यवाही एवं आवेदन सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष प्रारम्भ नहीं की गई क्योंकि धारा 175 राज0 काश्त0 अधिनियम के अनुसार भी 30 वर्ष की मियाद निकल चुकी थी। आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 29.11.2023 एवं अपीलाधीन निर्णय परस्पर विरोधाभाषी है अतएव अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2024 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी मु0नं0 01/2023 उनवानी अजय कुमार, अशोक देवी बनाम सरदारमल वगैरह निरस्त की जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 12, 13, 16 लगा0 23, 30, 33 लगा0 39 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 12, 13, 16 लगा0 23, 30, 33 लगा0 39 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 40 ने वकील अपीलान्टस के तर्को को विरोध किया तथा कथन किया कि हम खातेदार है तथा अनुसूचित जाति के है। भूमि की किस्म बंजड़ होने मात्र से नाकाबिल काश्त नहीं मान सकते है। भूमि हमे आंवटित हुई है। अपीलान्टस मानते है कि हम अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति है। दिनांक 10.10.2023 को जिला कलक्टर के आदेश से 183(बी) की कार्यवाही हुई है। धारा 42(बी) स्पष्ट है। पटवारी की रिपोर्ट है कि अशोक देवी ने भूमि नहीं बेची है। मेरा हिस्सा कम हो या ज्यादा हो उससे अधिकार प्रभावित नहीं होते है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की नजीर है कि अनुसूचित जाति भूमि किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं हो सकती है। अपीलान्टस के पास कोई वैध टाईटल नहीं है। अपीलान्टस की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 4 लगा0 10, 14, 15, 24 लगा0 29 व 31, 32 की ने वकील अपीलान्टस के तर्को का समर्थन किया तथा अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने वकील अपीलान्टस के तर्को को विरोध किया तथा कथन किया कि अदालत मातहत ने बाद सुनवाई के आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्टस की अपील मनघड़न्त तथ्यों पर आधारित है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा अदालत मातहत की पत्रावली का भी अवलोकन किया प्रकरण में अपीलान्टस का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत ने उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा अदालत मातहत के यहां अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण किये बगैर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2024 को पारित किया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण उसके गुणावगुण के आधार पर तथा पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाकर किया जाना न्यायोचित होता है। अदालत मातहत को प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकर की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 17.05.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत उभय पक्षों को सुनकर पहले प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें एवं तत्पश्चात पुनः सुनकर निर्णय करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ. अरूण शर्मा )
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं